




क्र. सं.	दिनांक यात्रा या कार्यवाही	यात्रा विस्तृत रूप से
	7.2.22	<p>पत्रावली पेश हुई पक्षकारण व पक्षकारण के वकील उपस्थित हैं पक्षकारण ने उपस्थित आरु रजनीका पेश किया जो शामिल मिलक रहे। पत्रावली दिनांक 15.2.22 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">   उपेन्द्र सिंह  उपखण्ड, चाकसू (जयपुर) </p>
	12.3.22	<p>पत्रावली वादी के वकील ने राष्ट्रीय लोक अदालत में उच्चाण बचने का निवेदन किया उच्चाण के तत्पश्चात के दोहारे हुए वादी के वकील ने निवेदन किया की राजीनामा के आधार पर उच्चाण डिक्ली फामादा जावे। हमने बाद पत्र व पत्रावली का गहनता से अंतर्लोकन किया व जवाब सरकार का भी अंतर्लोकन किया वादी का वाद स्वीकार किया जाना न्यायोचित है और वादी का वाद मुताबिक राजीनामा स्वीकार किया जाकर डिक्ली किया जाता है निर्णय प्रथम से लिया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। निर्णय पक्षना है तदुपरा के लिए जादा पत्रावली फिलहाल मुदा होना नम्बर के क्रम से मालिक दफ्त हो।</p> <p style="text-align: right;">   राजेश कुमार </p>

वादिना


किरण देवी शर्मा  
 Adv by 


प्रतिवादी गण


हरिनारायण शर्मा

Rampasad Sharma  
 जयपुर न्यायालय की

Adv by  
 Ram Lal Surt  
 (एडवो)  
 2/653/2016

  
 12/3/22

  
 (मुनिपुत्र उडके)

  
 (राजेश कुमार)